दिनांक: 20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गौकशी का प्रयास कर रहे एक गौकश/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को घायलावस्था में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचे .315 बोर, 02 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिंदा गोवंश, मोटर साइकिल एवं गोकशी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग*** *की जा रही है।*

इसी क्रम में दिनांक 19/08/2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद व पुलिस टीम द्वारा जगंल ग्राम सांपला खत्री, पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि दो व्यक्ति एक गौवंश और गौवध के उपकरण लेकर सड़क से बांयी ओर गांव सापला खत्री के जंगल में जवार के खेत में काटने के लिए ले गये है और रात्रि में ही उसका वध कर गौमांस को मोटर साइकिल पर बेचने जायेंगे इस सूचना पर जंगल ग्राम सापला खत्री ज्वार के खेत में एक बछड़ा जमीन पर बंधा पड़ा है जिसका मुंह पकड़े एक व्यक्ति बैठा है तथा दूसरा व्यक्ति एक प्लास्टिक की पल्ली से छुरी उठा रहा है, जिनको ललकारते हुए घेर घोट कर पकड़ने का प्रयास किया तभी दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला कि शकील पुलिस है, गोली मार दो सालों को और इतना कहते ही उक्त दोनों व्यक्तियों ने हम पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए जाने से मारने की नियत से फायर किये जिनसे हम पुलिस वाले सिखलाये हुए तरीके से बाल बाल बचे। बदमाशों द्वारा हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से की गयी । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान ***शकील पुत्र यामीन कुरैशी निवासी मौहल्ला पठानपुरा हाल सैनियों का मौहल्ला कस्बा व थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर*** *के रूप में हुई। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।* ***घायल/गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जो थाना देवबन्द का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है,*** *जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर गौकशी के करीब 09 मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0 604/2026 धारा 109(1) बीएनएस , 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 सीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार घायल/बदमाश के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. *शकील पुत्र यामीन कुरैशी निवासी मौहल्ला पठानपुरा हाल सैनियों का मौहल्ला कस्बा व थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण –

- *01 तमंचा नाजायज 315 बोर*

- *02 जिन्दा कारतूस 315 बोर*
- *01 खोखा कारतूस 315 बोर*
- *01 खोखा 315 बोर तमंचे की नाल में फंसा हुआ*
- *01 अदद मोटर साईकिल पेशन रंग लाल काला नम्बर DL 9S BS 8960*
- *01 रास बछडा*
- *गौकशी करने के उपकरण*

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 126/2016 धारा 5/8 गौवंध निवारण अधिनियम थाना बड़गाव जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 231/2025 धारा 3/5/8 गौवंध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 241/2025 धारा 3/5/8 गौवंध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 287/2025 धारा 3/5/8 गौवंध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 910/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर
6. मु0अ0स0 29/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 4/25/27 आयुध अधि0 थाना बडगांव स0पुर
7. मु0अ0सं0 75/2014 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 एफ पशु क्र0 अधि0 थाना देवबन्द, स0पुर
8. मु0अ0सं0 288/2009 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नानोता जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0स0 604/2026 धारा 109(1) बीएनएस , 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1319 अनुज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1349 सन्दीप चिकारा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 586 राजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. का0 264 सचिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक 19.08.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना बड़गांव एवं ए.एन.टी.एफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 617.700 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त व 02 अदद मोबाइल, 1800/- रूपये नकद व घटना में प्रयुक्त 01 आयसर कैन्टर बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी बडगांव श्री नरेन्द्र भडाना व ए.एन.टी.एफ सब यूनिट प्रभारी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव व एएनटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त शाहाकार अहमद पुत्र मुशीर अहमद निवासी नवादा जोगियान पुराना शहर, थाना बारादरी जनपद बरेली** को नानौता देवबन्द रोड पर हिण्डन नदी पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे से 617.700 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त, 02 अदद मोबाइल, 1800/- रूपये नकद व घटना मे प्रयुक्त 01 आयसर केन्टर** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 213/2026 धारा 8/15/29/60/61 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहाकार अहमद पुत्र मुशीर अहमद निवासी नवादा जोगियान पुराना शहर, थाना बारादरी जनपद बरेली

बरामदगी का विवरण-

➢ *617 किलोग्राम 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त*

- *02 अदद मोबाईल*
- *1800/- रूपये नगद*
- *01 आयशर कैन्टर नम्बर यूपी-24टी-2738*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. *थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री रवि कुमार प्रभारी सब यूनिट ए.एन.टी.एफ जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
4. *हे0कां0 दिनेश कुमार यूनिट ए.एन.टी.एफ जनपद सहारनपुर*
5. *कां0 शिवम चौधरी यूनिट ए.एन.टी.एफ जनपद सहारनपुर*
6. *कां0 विकास कुमार यूनिट ए.एन.टी.एफ जनपद सहारनपुर*
7. *हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*

दिनांक-20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहानरपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 13.08.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जकी पुत्र बुरहान व शमी पुत्र जुल्फक्कार नि0गण ग्राम चन्द्रौली मुगल माजरा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 291/26 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अपहृता की शीघ्र बरामदगी व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 20.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त जकी पुत्र बुरहान निवासी ग्राम चन्द्रौली मुगल माजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को सैन्ट मैरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। दिनाँक 18.08.26 को पीडिता को सकुशल बरामद कर विवेचना व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. जकी पुत्र बुरहान निवासी ग्राम चन्द्रौली मुगल माजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- है0का0 1111 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक -20.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त ***मौहम्मद कादीर पुत्र मौहम्मद आलम निवासी पीर वाली गली न0 25 बरेलियों का मदरसा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *सम्बन्धित वाद संख्या 6869/24 धारा 380/452/323/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर (माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सहारनपुर) नियत तिथि 25.08.26) मे बरेलियों के मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौहम्मद कादीर पुत्र मौहम्मद आलम निवासी पीर वाली गली न0 25 बरेलियों का मदरसा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना मण्डी सहारनपुर*
2. *रि0का0 1175 राहुल सागर थाना मण्डी सहारनपुर*
3. *रि0का0 1213 ऋतिक कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*

दिनांक: 20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 19.08.2026 को वादिया हसीन पत्नी हासिम निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया का मोबाइल छीन कर भागने के सम्बंध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 206/2026 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त मोनिस पुत्र सलीम उर्फ अमीर निवासी मौ0 नन्नू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली** को गिरफ्तार किय गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित छिनैती का मोबाइल फोन बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनिस पुत्र सलीम उर्फ अमीर निवासी मौहल्ला नन्नू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली

बरामदगीः-

01 मोबाइल फोन oppo कम्पनी रंग सफेद (छिनैती की घटना से सम्बन्धित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 118 विपुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते में 19,999/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि आवेदक मनमोहन सिहँ पुत्र जनेश्वर प्रसाद निवासी शारदानगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी करके साइबर ठगी के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर दिनांक 27/06/2026 को साइबर कम्पलैन्ट नम्बर 33106260149782 के ***44,599/-*** *रूपये कटने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी थी। प्राप्त शिकायत की जाँच थाना कुतुबशेर पर गठित साइबर हैल्प डैस्क थाना कुतुबशेर द्वारा की गई।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाना कुतुबशेर पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी धनराशि में से ***19,999/- रूपये की धनराशि आवेदक मनमोहन सिहँ पुत्र जनेश्वर प्रसाद निवासी उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी।*** *आवेदक द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।*

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साइबर टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।*
3. *हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
5. *का0 1375 दिव्य प्रताप सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
6. *म0का0 2130 राखी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
7. *म0का0 887 रिंकी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
8. *म0का0 983 मीनू गिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः-20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे/निशानदेही से 03 अवैध चाकू/छुरी बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 19.08.2026 को वादी साहिल पुत्र सराफत निवासी जैन बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. आस मौहम्मद पुत्र कुरबान निवासी ग्राम मुल्ला नगराजपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, 2. अनस पुत्र नामालूम निवासी धोबी वाला थाना मण्डी सहारनपुर, 3. वामिक पुत्र नामालूम निवासी फैसल मस्जिद, खाताखेडी, थाना मण्डी सहारनपुर व 4. आमिर पुत्र नामालूम निवासीगण फैसल मस्जिद, खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी के पिता सराफत, चाचा नईम, मुदस्सीर के साथ एक राय होकर कारखाने में घुसकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार करने, जिससे वादी के पिता सराफत, चाचा नईम व मुदस्सीर का बुरी तरह से घायल हो जाना व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 430/2026 धारा 109(1)/352/118(1)/3(5)/333/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था । विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी ।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/ शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमें में **03 वांछित अभियुक्तगण 1. आस मौहम्मद पुत्र कुरबान निवासी ग्राम मुल्ला नगराजपुर, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. वामिक पुत्र महताब निवासी मौहम्मद नगर निकट फैसल मस्जिद खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 3. अनस पुत्र सईद अहमद निवासी आजाद कालोनी गली न0- 07 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को खाताखेड़ी रोड परवेज आरा मशीन बोर्ड के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही से 03 अदद अवैध चाकू बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आस मौहम्मद पुत्र कुरबान निवासी ग्राम मुल्ला नगराजपुर, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. वामिक पुत्र महताब निवासी मौहम्मद नगर निकट फैसल मस्जिद खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. अनस पुत्र सईद अहमद निवासी आजाद कालोनी गली न0- 07 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

❖ 03 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का01233 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1237 मोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. रि0का0 1234 शोभित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः-**20.08.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.08.2026 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **राकेश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम बाघी थाना नकुड जिला सहारनपुर** *को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित अध्याना रोड पर विनोद किराना स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 417/26 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त राकेश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम बाघी थाना नकुड, जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *05 लीटर कच्ची शराब*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0आ0 1641 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक:20.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गस्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग की जा रही थी पुलिस टीम पानी की टंकी के पास खाताखेड़ी में पहुंचे तो देखा कि काफी भीड़ इक्ट्ठा थी पास जाकर देखा तो अभियुक्तगण ***1.आसिफ पुत्र कुरबान निवासी मुल्ला नागराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2. गुलफाम पुत्र मुनफैत निवासी जैन बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर,*** *वादी मुकदमा* ***साहिल पुत्र सराफत निवासी जैन बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *से मुकदमा लिखाये जाने को लेकर आमदा फसाद हो रहे थे व लड़ाई झगड़े पर उतारू होने लगे। पुलिसवालों व मौहल्ले के लोगों ने समझाने का काफी प्रयास किया परन्तु नहीं माने बल्कि मारपीट पर उतारू होने लगे। जिससे कानून व शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए 1.* ***आसिफ पुत्र कुरबान निवासी मुल्ला नागराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2. गुलफाम पुत्र मुनफैत निवासी जैन बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आसिफ पुत्र कुर्बान निवासी मुल्ला नागराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2. गुलफाम पुत्र मुनफैत निवासी मुल्ला नागराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2. म0उ0नि0 श्री प्रीति सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

3. रि0का0 1176 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः-20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 24 अद्धे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की खरीद फरौख्त व तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.08.2026 को अभियुक्त ***अक्षय उर्फ हुडी पुत्र मदनलाल थाना सरसावा सहारनपुर*** *को न्यू पिलखनी रेलवे स्टेशन से पिलखनी पटनी ओवर ब्रिज से पहले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 24 अद्धे अवैध अंग्रेजी शराब (चंडीगढ़ मार्का) बरामद हुयी । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 270/26 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं शराब पीने व नशा करने का आदि हूँ। यह शराब मैं बाहर से लाकर सड़क पर चलने वाले ट्रकों के ड्राइवरों को काफी मँहगे दामो मे बेचकर अपने नसे का खर्चा चला लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अक्षय उर्फ हुडी पुत्र मदनलाल निवासी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

- *24 अद्धे अवैध अंग्रेजी शराब (चंडीगढ़ मार्का)*

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
4. *रि0का0 2594 विष्णुकांत थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
5. *रि0का0 2574 विनेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.08.2026 को एक नफर वारण्टी अभियुक्त ***मोहित यादव उर्फ बाबू पुत्र सूरजपाल यादव हाल निवासी मौहल्ला गोपाल नगर नुमाइश कैम्प निकट पाल डेयरी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *(संबंधित वाद सं0 – 6120/24 धारा – 138 एनआई एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर नियत दिनांक 07.09.2026 निर्गत माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष सं0 20 सहारनपुर) को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वारण्टी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित यादव उर्फ बाबू पुत्र सूरजपाल यादव हाल निवासी मौहल्ला गोपाल नगर नुमाइश कैम्प निकट पाल डेयरी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 सुन्दर सिंह कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*
2. *है0का0 862 विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*
3. *का0 2486 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक:**24.02.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.02.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त ***दुष्यन्त राणा पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद संख्या 7637/25 मु0अ0सं0 485/18 धारा 60/60 आब0 अधि0) को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त गण का नाम पता:-

अभियुक्त दुष्यन्त राणा पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1-श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा,स0पुर।
2-उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा, स0पुर।
3-है0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा,स0पुर।
4.का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा,स0पुर।

दिनांक- 20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 03 नफर अभियुक्तगण ***1. चांद उर्फ बांडा पुत्र रईस निवासी मौ0 किला नबाबगंज थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर 2. शारिक पुत्र सईद नि0 मौ0 छिपियान थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर 3. तसलीम पुत्र इसरार नि0 मंदरसा मस्जिद गुलर वाली गली मौ0 नई बस्ती थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर*** *को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत आमदा फसाद करते हुए थाना क्षेत्र कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. *चांद उर्फ बांडा पुत्र रईस निवासी मौ0 किला नबाबगंज थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *शारिक पुत्र सईद नि0 मौ0 छिपियान थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *तसलीम पुत्र इसरार नि0 मंदरसा मस्जिद गुलर वाली गली मौ0 नई बस्ती थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 380 आजाद सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2421 ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 20.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियोग में दोषी पाते हुए 01 अभियुक्त को 04 वर्ष तथा 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष का कारावास व कुल 60 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 17.10.2018 को वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1- विपिन पुत्र सुलेखचन्द 2- राजेन्द्र कुमार पुत्र सियाराम 3- मुरारी पुत्र मक्कड 4- सुलेखचन्द पुत्र सुग्गन सिंह निवासीगण नौरंगपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग लडकी को घसीटकर छेडछाड करते हुये अश्लील हरकत कर लैगिंक हमला कारित करने की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0- 617/2018 धारा-354,452,323/34 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-80/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPRATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 20.08.2026 को अभियुक्त 1- विपिन पुत्र सुलेखचन्द को धारा-452,354,323/34 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व 30,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण 2- राजेन्द्र कुमार पुत्र सियाराम, 3- मुरारी पुत्र मक्कड 4- सुलेखचन्द पुत्र सुग्गन सिंह निवासीगण नौरंगपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को धारा 452,323/34 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता- (डी0जी0सी0) श्रीमति शेहजाद खान।
विवेचक- उप निरीक्षक श्री नरेन्द्र सौलंकी।
पैरोकार - है0का0 विक्रान्त थाना रामपुर जनपद सहारनपुर।